राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :– 510/2025

दिनेश चंद्र शारदा

–अपीलार्थी

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये प्रमुख शासन सचिव, पशु पालन विभाग, सचिवालय, जयपुर।
2. उप सचिव, पशु पालन विभाग, सचिवालय, जयपुर।
3. डॉ. ललित शर्मा, वरिष्ठ पशु चिकित्सा अधिकारी सी/ओ उप सचिव, पशु पालन विभाग, सचिवालय, जयपुर।

–प्रत्यर्थीगण

प्रस्तुतिकरण की दिनांक : 17.01.2025
आदेश की दिनांक : 31.01.2025

अपीलार्थी की ओर से : श्री पुनित सिंह, अधिवक्ता

समक्ष :– चेतन राम देवड़ा, सदस्य
लेखराज तोसावड़ा, सदस्य

आदेश

मामले की आवश्यक प्रकृति को देखते हुए राजस्थान सिविल सेवा (सेवा मामलो के लिए अपील अधिकरण) अधिनियम, 1976 की धारा 4ए के उपबन्ध में शिथिलता प्रदान करने की प्रार्थना स्वीकार कर अपील पर सुनवाई की गई।

प्रस्तुत अपील के अनुसार कि अपीलार्थी प्रत्यर्थी विभाग में पशु चिकित्सालय, पुला, उदयपुर में वरिष्ठ पशु चिकित्सा अधिकारी, प्रथम श्रेणी के पद पर कार्यरत है। अपीलार्थी को दिनांक 30.06.2025 को सेवानिवृत्त होने के समय दिनांक 15.01.2025 के आदेश के तहत स्थानांतरित कर दिया गया है। अपीलार्थी दिनांक 30.06.2025 को सेवानिवृत्त होने वाला है और इस तरह उसकी सेवानिवृत्ति में 6 महीने से भी कम समय बचा है। इस तरह, बिना किसी कारण के अपीलार्थी को वर्तमान पदस्थापन स्थान से स्थानांतरित किया गया है। (अनुलग्नक–2) अपीलार्थी जो अपनी सेवानिवृत्ति के कगार पर है, को उक्त आदेश दिनांक 15.01.2025 के तहत स्थानांतरित कर दिया गया है। राजस्थान सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1996 के नियम 80 के अनुसार, प्रतिवादी विभाग द्वारा पेंशन के कागजात सेवानिवृत्ति से कम से कम दो वर्ष पूर्व तैयार किए जाने चाहिए। माननीय उच्च न्यायालय जोधपुर की खंडपीठ ने डॉ. (श्रीमती) पुष्पा मेहता बनाम राजस्थान सिविल सेवा अपीलीय न्यायाधिकरण एवं अन्य (2000) 2 डब्ल्यूएलसी 725, के फैसले में स्पष्ट रूप से कहा है कि जब तक कोई बाध्यकारी कारण न हो, सामान्यतः किसी कर्मचारी को उसकी नियुक्ति के स्थान से नहीं हटाया जाना चाहिए, जब वह सेवानिवृत्ति के कगार पर हो। विवादित स्थानांतरण आदेश केवल राजनीतिक रूप से जुड़े व्यक्तियों को समायोजित करने के लिए पारित किया गया है और इस तरह यह किसी भी प्रशासनिक आवश्यकता से

संबंधित नहीं है। अपीलार्थी और निजी प्रत्यर्थी द्वारा एक पारस्परिक अभ्यावेदन दिनांक 16.01.2025 (अनुलग्नक–3) को प्रस्तुत किया गया है कि अपीलार्थी को उसकी सेवानिवृत्ति तक वर्तमान पदस्थापना स्थान पर ही रहने दिया जाए। अपीलार्थी को उसकी सेवानिवृत्ति के कगार पर बिना किसी ठोस कारण के तथा राजस्थान सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1996 में निर्धारित प्रावधानों के विरुद्ध स्थानांतरित करने के दिनांक 15.01.2025 के आक्षेपित आदेश से व्यथित होकर, अपीलार्थी निम्नलिखित आधारों पर वर्तमान अपील प्रस्तुत करता हैरू

अतः अपील अपीलार्थी स्वीकार की जाकर प्रत्यर्थी विभाग को निर्देश दिए जावे कि अपीलार्थी के संबंध में जारी आदेश दिनांक 15.01.2025 को अपास्त फरमाया जावे एवं अपीलार्थी को प्रथम श्रेणी, पशु चिकित्सा अस्पताल, पुला, उदयपुर में निरंतर कार्यरत रखा जावे।

बहस के दौरान अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता द्वारा यह अनुरोध किया गया कि अपीलार्थी द्वारा प्रत्यर्थी विभाग के समक्ष अपना अभ्यावेदन प्रस्तुत किया हुआ है, जिसका निस्तारण अभी तक नहीं किया गया। अतः अपीलार्थी द्वारा प्रत्यर्थी विभाग के समक्ष प्रस्तुत अभ्यावेदन का नियमानुसार निस्तारण करने के आदेश प्रदान किए जावे। प्रत्येक कार्मिक को यह अधिकार प्राप्त है कि वह सेवा संबंधी अभाव अभियोग निवारण हेतु अपने नियोक्ता को अभ्यावेदन प्रस्तुत कर अपनी परिवेदना प्रस्तुत कर सके।

अतः प्रस्तुत अपील के तथ्यों के संबंध में गुणावगुण पर विचार नहीं करते हुए तथा अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता के स्वयं के अनुरोध को दृष्टिगत रखते हुए न्यायहित में यह आदेश दिया जाता है कि अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन का प्रत्यर्थी विभाग के समक्ष स्तर पर दस दिवस में निस्तारण किया जावे। सक्षम प्राधिकारी को यह निर्देश दिये जाते है कि वह अभ्यावेदन का निस्तारण राज्य सरकार व विभाग के नियमों/ दिशा–निर्देशों/ परिपत्रों के परिप्रेक्ष्य में गुणावगुण के आधार पर नियमानुसार आख्यात्मक आदेश (Speaking Order) प्रसारित कर अभ्यावेदन को निस्तारित करे और ऐसे निस्तारण की सम्यक् सूचना अपीलार्थी को दे। यहां यह स्पष्ट किया जाता है कि अधिकरण अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन को किसी विशिष्ट तरीके से निस्तारित करने के संबंध में कोई आदेश नहीं दे रहा है।

अतः उक्त अपील, मय स्थगन प्रार्थना पत्र, ग्राह्यता के प्रक्रम पर ही उपर्युक्त निर्देश के साथ अन्तिम रूप से निस्तारित की जाती है।

(लेखराज तोसावड़ा)
सदस्य

(चेतन राम देवड़ा)
सदस्य